बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

बिहार भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति–2007
संकल्प

लोक प्रयोजन के उद्देश्य से परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार भू–अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 के तहत भू–अर्जन करती रही है। अर्जनाधीन भूमि के मूल्य का निर्धारण एवं भूमि अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले परिवारों को अतिरिक्त सुविधा दिये जाने से संबंधित बिहार भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति–2007 राजस्व विभागीय संकल्प सं0– 395/रा0, दिनांक 19.02.07, संशोधित संकल्प सं0– 747/रा0, दिनांक 13.05.08 एवं 1/रा0, दिनांक 01.01.10 द्वारा निर्गत एवं संसूचित है।

2. उक्त संकल्प के निर्गत होने के पश्चात् कार्यान्वयन के क्रम में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि संकल्प सं0– 747/रा0, दिनांक 13.05.08 की कंडिका– 1.1 द्वारा यथा विहित रीति से विभिन्न मौजों में अर्जनाधीन भूमि के मूल्य निर्धारण के पश्चात् एक परियोजना के लिए एक साथ स्थित विभिन्न मौजों में अर्जनाधीन समरूप प्रकार की भूमि के दर में भिन्नता होने पर हित सम्बद्ध रैयतों को समरूप प्रकार की भूमि के लिए उच्चतर मूल्य देने के बिन्दु पर उपर्युक्त यथा संशोधित संकल्पों की कंडिका– 1.1 (क) के नीचे एक नई कंडिका– 1.1 (ख) जोड़ा जाना आवश्यक है।

3. अतः कंडिका– 1.1 (क) के नीचे समाविष्ट की जाने वाली कंडिका– 1.1 (ख) निम्नवत् जोड़े जाने का प्रस्ताव है :–

1.1 (ख) :–

(i) किसी एक परियोजना में शामिल एक साथ स्थित (Contiguous) प्रत्येक मौजे को विभिन्न किस्मों की अर्जनाधीन भूमि की बिहार भू–अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनर्वास नीति– 2007 में विहित विधि के अनुसार मौजावार किस्मवार बाजार मूल्य की गणना की जायेगी।

(ii) उपर्युक्त मूल्यों में से अलग–अलग किस्म की भूमि के लिए जो अलग–अलग उच्चतम मूल्य उभरकर सामने आयेंगे, वही अधिकतम मूल्य शेष मौजों में स्थित संबंधित किस्म विशेष की भूमि का बाजार मूल्य माना जायेगा।

(iii) सारांशतः किसी परियोजना के अंतर्गत पड़ने वाले मौजों में जिस मौजा विशेष में किसी किस्म विशेष की भूमि का जो अधिकतम मूल्य यथा पूर्वोक्त विधि से उभर कर सामने आयेगा, वह उस परियोजनान्तर्गत शेष मौजों के उस किस्म विशेष का बाजार मूल्य मान लिया जायेगा एवं तदनुसार भू–अर्जन का मूल्यांकन निर्धारित किया जायेगा।

(iv) परन्तु Linear परियोजनाओं यथा– सड़क, रेल, तटबंध, नहरें आदि के लिए अर्जित जमीन का मूल्यांकन उपर्युक्त फार्मूला से शासित नहीं होगा एवं ऐसी भूमि पर पूर्व की विधि लागू होगी।

(v) इस प्रक्रिया से एक ही परियोजना के लिए एक ही खण्ड में विभिन्न मौजों में स्थित एक ही किस्म की जमीन का मूल्य समान रहेगा।

परन्तुक : वैसे मामले जिनमें एक परियोजना के अंतर्गत सभी मौजों का 100 प्रतिशत का भुगतान कर दखल–कब्जा हो चुका है, ऐसे मामले पर यह प्रभावी नहीं माना जायेगा।

4. बिहार भू–अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनर्वास नीति– 2007 राजस्व विभागीय संकल्प सं0–747 / रा0, दिनांक 13.05.08 एवं 1 / रा0, दिनांक 01.01.10 के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

5. यह आदेश दिनांक 19.02.07 से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश– एतत् द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्रचार–प्रसार करते हुए इसकी प्रति बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच प्रचारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:– 15 / डी0 एल0 ए0 नीति (पुनर्वास) 07 / 06 -923 / रा0, दिनांक 18-05-10

प्रतिलिपि:– अधीक्षक सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के अगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:– 15 / डी0 एल0 ए0 नीति (पुनर्वास) 07 / 06 (खण्ड) 923 / रा0, दिनांक 18-05-10

प्रतिलिपि:–

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी विभागीय प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता / सभी अपर समाहर्त्ता / निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी / सभी विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी समाहर्त्ताओं से अनुरोध है कि इस संकल्प की सूचना अपने स्तर से उनके क्षेत्र में चल रहे परियोजनाओं से संबंधित अधियाची विभाग के पदाधिकारियों को दे दी जाय।

(सी0 अशोकवर्धन)